रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 1981/भाद्र 21, 1903
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 1981/BHADRA 21, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

(संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 1981

आ० अ० 1075—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 245-जहानाबाद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोहन सिंह ग्राम दादपुर, पो० भीमबास पुर, बेला गंज (गया) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मोहन सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/245/80/(66)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 26th May, 1981

O.N. 1075.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohan Singh V. Dadpur, P.O. Bhimdaspur, Belaganj (Gaya) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly from 245-Jahanabad Assembly constituency held in May, 1980, has failed to lodge as account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Mohan Singh, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. BR-LA/245/80(66)]

आ० अ० 1076—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 255-फतेहपुर (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामदेव रजक, ग्राम मियाडीह मठिया, पो० मियाडीह थाना कोंच, जिला गया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामदेव रजक को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/255/80(67)]

O.N. 1076.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramdeo Rajak, Vill. Siyadih, Mathiya, P.O. Siyadih, P.S. Konch, District Gaya, Bihar, a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly from 255-Fatehpur (SC) assembly constituency, held in May, 1980, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramdeo Rajak, to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/255/80(67)]

नई दिल्ली 1 जून, 1981

आ०अ० 1077.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 233-चेनारी (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुकुल राम, ग्राम पहाड़पुर, पो० बरैला, जिला रोहतास, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुकुल राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/233/80(72)]

New Delhi, the 4th June, 1981

O.N. 1077.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sukul Ram, Vill. Paharpur, P.O. Baraila, District Rohtas, a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly from 233-Chenari (SC) assembly constituency, held in May, 1980, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sukul Ram to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/233/80(72)]

आ० अ० 1078—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 233-चेनारी (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लाल मुनी राम, ग्राम व पो० खरारी, जिला रोहतास, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लाल मुनी राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश के तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/233/80(73)]

O.N. 1078.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lal Muni Ram, Vill/P.O. Kharari, District Rohtas, Bihar, a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly from 233-Chenari (SC) assembly constituency, held in May, 1980, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Eleition Commission is further satsfited that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lal Muni Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/233/80(73)]

नई दिल्ली, 9 जून, 1981

आ०अ० 1079.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 227-दिनारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री यमुना सिंह, ग्राम गोपालपुर, पोस्ट कुड, जिला रोहतास, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री युमना सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/227/80(78)]

New Delhi, the 9th June, 1981

O.N. 1079.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Yamuna Singh, Vill. Gopalpur, P.O. Kud, Distt. Rohtas (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 227-Dinara Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Yamuna Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/227/80(78)]

नई दिल्ली 29 जून, 1981

आ०अ० 1080.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 164-महागामा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पंकज कुमार सिंह, ग्राम व पो० मधुरा, जिला संथाल परगना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यत., उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पंकज कुमार सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/164/80(95)]

New Delhi, the 29th June, 1981

O.N. 1080.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pankaj Kumar Singh, Vill. and P.O. Madhura, Distt. Santhal Parganas, Bihar, a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 164-Mahagama Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the shaid Shri Pankaj kumar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/164/80(95)]

आ०अ० 1081—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 165-महागामा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बुधि नाथ राम, मह्ल्ला कालिकापुर, पो० पाकुड़, जिल संथाल परगना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बुधिनाथ राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/164/80(96)]

O.N. 1081.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Budhinath Ram, Mohulla Kalikapur, P.O. Pakur, Distt. Santhal Parganas, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 164-Mahagama constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Budhinath Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/164/80(96)]

आ०अ० 1082—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 164-महागामा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पूरन मण्डल, ग्राम खिरौधा, पो० अगौर, वाया ईशीपुर, जिला संथाल परगना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ,

और यत., उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पूरन मंडल, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है

[सं० बिहार-वि०स०/164/80(97)]

O.N. 1082.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Puran Mandal, Vill. Khiraundha, P.O. Amsur via Ishipur, Distt Santhal Parganas, Bihar, a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 164-Mahagama constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Puran Mandal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/164/80(97)]

नई दिल्ली, 30 जून, 1981

आ० अ० 1083.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 162-पोड़ैयाहाट निर्वाचित क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री घनश्याम प्रसाद, ग्राम व पो० केन्दुआ, जिला संथाल परगना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री घनश्याम प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार वि० स० /162/80(103)]

New Delhi, the 30th June, 1981

O.N. 1083.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ghanshyam Prasad, Vill. and P.O. Kendua, District Santhal Parganas, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 162-Poroyahat Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure,

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Ghanshyam Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/162/80(103)]

आ० अ० 1084.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 162-पोड़ैयाहाट निर्वाचित क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चुनका हेमरम ग्राम सरकंडा, पो० गोड्डा, जिला संथाल-परगना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चुनका हेमरम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार -वि० स०/162/80 (104)]

O.N. 1084.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chunka Hemram, Vill. Sarkanda P.O. Godda, District Santhal Parganas a contesting candidate for general election to the Assembly held in May, 1980 from 162-Poroyahat Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chunka Hemram to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. BR-LA/162/80(104)]

आ० अ० 1085.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 162-पोड़ैयाहाट निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नीलकन्ठ हजारी, ग्राम पांडु बथान, पो० गोड्डा कालेज, जिला संथाल परगना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक-सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नीलकण्ठ हजारी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/162/80(105)]

O.N. 1085.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nil Kanth Hazari, Vill. Pandubathan, P. O. Godda Collage, District Santhal Parganas a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 162-Poroyahat Constituency, has failed to lodge an acount of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nil Kanth Hazari to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/162/80(105]

आ० अ० 1086.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 162-पोड़ायाहाट निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सियनाथ सोरेन, ग्राम धेनुकटटा (बंधाघाट) पो० रघुनाथपुर, जिला संथाल परगना बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सिबलाल सोरेन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/ 162/80 (106)]

O.N. 1086.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Siblal Soren, Vill. Dhenukatia, P. O. Raghunathpur, District Santha, Parganas a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 162-Poroyahat Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation mode by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Siblal Soren to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/162/80(106)]

आ० अ० 1087.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 162-पोड़ैयाहाट निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हसन उद्दीन, ग्राम असनबनी, पो० गोड्डा, जिला संथाल परगना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा-10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हसन उद्दीन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स० / 162/ 80 (107)]

O.N. 1087.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hassan Uddin, Vill. Asanbani, P.O. Godda, District Santhal Parganas a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May 1980 from 162-Poragahat Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hassan Uddin to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/162/80(107)]

आ० अ० 1088.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 162-पोड़ैयाहाट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नरेश प्रसाद मंडल, ग्राम बनियारा, पो० महादेवगढ़, जिला संथाल परगना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नरेश प्रसाद मंडल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स० / 162/ 80 (108)

O.N 1088.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Naresh Prasad Mandal, Vill. Baniyara, P. O. Mahadeogarh District Santhal Parganas a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 162-Poroyahat Constituency, has failed to lodge an account of his election exoenses in manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said *Shri Naresh Prasad Mandal to be disqualified for being chosen as,* and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/162/80(108)]

आ० अ० 1089.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 162-पोड़ैयाहाट निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हेमयाम मांझी, ग्राम व पो० पपई जिला संथाल परगना बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हेमकांत मांझी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/162/80 (109)]

O.N. 1089.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hemkant Majhi, Vill. & P. O Pasai, Distt. Santhal Parganas a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 162-Poroyahat Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses with in time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hemkant Manjhi to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/162/80(109)]

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1981

आ० अ० 1090.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 83-मधेपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री इदरीस, पो० अलीजान, ग्राम व पोस्ट पचही, थाना माधेपुर, जिला मधुबनी (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री इदरीस को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/83/80 (134)]

New Delhi, the 21st July, 1981

O.N. 1090—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Idris. At Alijan, Vill. and P.O. Panchahi. Thana Madhepur, Distt. Madhubani (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 83-Madhepur Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Idris to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/83/80(134)]

आ० अ० 1091.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 83-मधेपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जय नाथ मिश्र, ग्राम बेहट, पोस्ट झंझारपुर, आर० एस०, जिला मधुबनी (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जय नाथ मिश्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० सं०/83/80 (135)]

O.N. 1091.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jay Nath Mishra, Vill. Behat, P.O. Jhanjharpur R.S., Distt. Madhubani (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 83-Madhepur Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure :

Now, therefore in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jay Nath Mishra to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/83/80(135)]

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1981

आ० अ० 1092.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के के लिए 291—जमशेदपुर पूर्व निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री आर० एन० पी० सिंह, 16-रोड रोड, ओल्ड बारीडीह (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा श्री आर० एल० पी० सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार वि०स०/291/80 (172)]

New Delhi, the 6th August, 1981

O.N. 1092.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri R. L. P. Singh, 16-Rori Road Old Baridih (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 291-Jamshedpur East Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri R. L. P. Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/291/80(172)]

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1981

आ० अ० 1093.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 210-मनेर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मेदनी सिंह, ग्राम बिहटा, पोस्ट बिहटा, जिला पटना (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मेदनी सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/210/80 (173)]

New Delhi, the 7th August, 1981

O.N. 1093.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Medni Singh, Vill. and P.O. Bihata, Distt. Patna (Bihar), a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 210-Maner Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therfore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Medni Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/210/80(173)]

आ० अ० 1094.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 210-मनेर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्रीकान्त शर्मा, ग्राम भगवतीपुर, पोस्ट नेऊरा, थाना दानापुर, जिला पटना (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस सफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री श्रीकान्त शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/210/80 (174)]

O.N. 1094.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shrikant Sharma, Vill. Bhagwatipur, Post Neora, P.S. Danapur, Distt. Patna (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 210-Maner Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shrikant Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/210/80(174)]

आ० अ० 1095.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 210-मनेर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिवधर प्रसाद सिंह, ग्राम मोहनपुर, पोस्ट मसौर, जिला पटना (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और यतः उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा श्री शिवधर प्रसाद सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/210/80(175)]

O.N. 1095.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shivdhar Pd. Singh Vill. Mohanpur, Post Maner, Distt. Patna (Bihar) a contesting candidate for genera election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 210-Maner Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shivdhar Pd. Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/210/80(175)]

आ० अ० 1096.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 241-गोह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विजय शंकर मिश्रा, ग्राम तथा पोस्ट उसास, थाना कोंच, गया (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विजय शंकर मिश्रा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/241/80 (176)]

O.N. 1096.—Whereas the Election Commission is satisfied thtat Shri Vijoy Shankar Mishra, Vill and P.O. Usas, P.S. Kouch, Distt. Gaya (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 241-Goh Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vijoy Shankar Mishra to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No BR-LA/241/80(176)]

आ० अ० 1097.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 241-गोह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सुन्दर सिंह, ग्राम भलवंडी, पो० अंवारी थाना गोह, औरंगाबाद (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम सुन्दर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/241/80(177)]

O.N. 1097.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Sunder Singh, Vill. Bhalawandi, P.O. Avanri, P.S. Goh, Distt. Aurangabad (Bihar), a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembmly held in May, 1980 from 241-Goh Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is saisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Sunder Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/241/80(177)]

आ० अ० 1098.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 241-गोह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जतन मिस्त्री, मो०पो० डड़वां, थाना गोह, जिला औरंगाबाद (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययो का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जतन मिस्त्री को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/241/80 (178)]

O.N. 1098.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jatan Mishtry, Vill. and P.O. Darwan P.S. Goh, Distt. Aurangabad (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 241-Goh Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jatan Mishtry to be disqualified for being chosen as, and

for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/241/80(178)]

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1981

आ०अ० 1099—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 289-पोटका (अ० ज० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शालखन मुर्मू, गांव तथा पोस्ट करनडीह, जमशेदपुर जिला सिंहभूम (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शालखन मुर्मू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार वि० सं० /289/80 (179)]

आदेश से,

सतीश चन्द्र जैन, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

New Delhi, the 10th August, 1981

O.N. 1099.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shalkhan Murmu, Vill. and P.O. Karandih, Jamshedpur, Distt Singhbhum (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 289-Potka (ST) Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shalkhan Murmu to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/289/80(179)]

By Order,

SATISH CHANDER JAIN, Under Secy.

Election Commission of India

आदेश

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1981

आ०अ० 1100—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 130 आरंग (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नारायण प्रसाद टन्डन, ग्राम देवदा, पोस्ट आफिस लखोली जिला रायपुर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नारायण प्रसाद टन्डन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म० प्र० वि० सं०/130/80(161)]

ORDERS

New Delhi, the 20th July, 1981

O.N. 1100.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Narayan Prasad Tandon, Village Devda, Post Lakholi, District Raipur (M.P.) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1981 from 130-Arang (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Narayan Prasad Tandon to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/130/80(161)]

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1981

आ० अ० 1101—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 32 दादर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अप्पा राव, 204/15, नटलवाला टैरेस, गोखले रोड, बम्बई-28 (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अप्पा राव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि० सं०/32/80 (141)]

New Delhi, the 23rd July, 1981

O.N. 1101.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Appa Rao, 204/15, Natalwala Tarrace, Gokhale Road, Bombay-28 (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 32-Dadar Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Appa Rao to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/32/80(141)]

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1981

आ०अ० 1102—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 42-गोरेगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अजीत कुमार अनंदराव माने, सिद्धार्थ नगर, पार्ट-III, 2/35, एस० वी० रोड, बम्बई-62 (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अजीत कुमार अनंदराव माने को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/42/80 (142)]

New Delhi, the 24th July, 1981

O.N. 1102.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ajit Kumar Anandrao Mane, Siddharth Nagar, Part-III, 2/35, S. V. Road, Bombay-62, (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 42-Goregaon Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ajit Kumar Anandrao Mane to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/42/80(142)]

आ० अ० 1103.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1981 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 42-गोरेगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बी० के० गोयल, न्यू वोहरा हाऊस, दूसरी मंजिल गोरेगांव (पश्चिम), बम्बई-62 (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बी० के० गोयल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/42/80(143)]

O.N. 1103.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri B. K. Goyal, New Vhora House, 2nd Floor, Goregaon (West), Bombay-62 (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 42-Goregaon Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri B. K. Goyal to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/42/80(143)]

आ०अ० 1104—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 35-बीना निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अरविन्द जैन, 157, मोहन नगर, सागर मध्य प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अरविन्द जैन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है

[म० म० प्र० वि० सं०/35/80 (167)]

O.N. 1104.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Arvind Jain, 157, Mohan Nagar Sagar (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 35-Bina constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Arvind Jain to be disqualified for being chosen as, and or being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/35/80(167)]

आ० अ० 1105.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 35-बीना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लक्ष्मण प्रसाद गंगू, गांधी वार्ड, बजरिया, बीना, (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लक्ष्मण प्रसाद गंगू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म० प्र० वि० स 35/80 (168)]

O.N. 1105.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Laxman Prasad Gangu, Gandhi ward, Bajriya, Bina (MP) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from the 35-Bina constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Laxman Prasad Gangu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA|35|80|(168)]

आ० अ 1106.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 35-बीना निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती हरलाल देवी, बुखारा पोस्ट बसारी तहसील खुरई (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती हरलाल देवी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/35/80 (169)]

O.N. 1106.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Harlaldevi, Bukhara, Post Basani, Tehsil Khurai, (MP) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 35-Bina constituency, has failed to lodge an account of her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that she has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Harlal Devi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA|35|80(169)]

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1981

आ०अ० 1107.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 42-देवरी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अशोक कुमार प्रेमनारायण दुबे, चकराघाट वार्ड, सागर, जिला सागर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अशोक कुमार प्रेमनारायण दुबे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/42/80(170)]

New Delhi, the 25th July, 1981

O.N. 1107.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ashok Kumar Prem Narayan Dube, Chakraghat Ward, Sagar District, Sagar (MP) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 42-Deori constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ashok Kumar Prem Narayan Dube to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA|42|80|(170)]

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1981

आ०अ० 1108.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 169-हेडगांव निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वडेरे नारायण परशराम, मु० और डा० तालेगांव, तालुका हेडगांव, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्दर तथा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वड़ेरे नारायण परशराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

(सं० महा-वि०स०/169/80(145)

New Delhi, the 27th July, 1981

O.N. 1108.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Wadhare Narayan Parshram, At & Post Talegaon, Taluka-Hadgaon, District Nanded (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 169-Hadgaon constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Wadhare Narayan Parshram to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA|169|80(145)]

आ०अ० 1109.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 190-कन्नड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कनहीराम गुरूदयाल, मु० उमबार खेड़ा, डा० नागातूर, तालुका कन्नड, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कनहीराम गुरूदयाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

(सं० महा-वि०स०/190/80(146)

G.N. 1109.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kanhiram Gurudayal, At Umbarkheda, Post Nagapur, Taluka Kannad, District Aurangabad (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 190-Kannad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kashiram Gurudayal to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA|190|80(146)]

आ०अ० 1110.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 190-कन्नड निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री डागडू श्रावन निवेकर, मु० व डा० दिओगांव रानगारी, तालुका कन्नड, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री डागडू श्रावन दिवेकर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

(सं० महा-वि०स०/190/80(147)

O.N. 1110.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dagdu Shrawan Divekar, At PO. Deogaon Rangari, Taluka Kannad, District Aurangabad (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 190-Kannad Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Kepresentation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whreas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dagdu Shrawan Divekar to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either Huuse of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA|190|80(147)]

आ०अ० 1111.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 190-कन्नड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री निरेंद्रा रूपसिंह नागदकार, मु० व डा० नागद्र, तालुका कन्नड, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नरेन्द्र रूपसिंह नागदकार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/190/80(148)]

O.N. 1111.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Narendra Rupsingh Nagadkar, At, P.O. Nagad, Taluka Kannad, District Aurangabad (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 190-Kannad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Narendra Rupsingh Nagadkar to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA|190|80(148)]

आ०अ० 1112.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 192-गंगापुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरिचन्द मोती सिंह, प्रवेशपुरा, डा० व तालुका गंगापुर, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हरिचन्द मोती सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/192/80(149)]

O.N. 1112.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Harichand Motising, R|o Pardeshpura, Post Taluka Gangapur, District Aurangabad (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 192-Gangapur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Harichand Motising to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-I A|192|80(149)]

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1981

आ०अ० 1113.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 162-केलापुर (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुर्खे (गुरुजी) हरिभाऊ रामाजी मु० डा० उमारसासरा, तालुका और जिला यवतमल (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुर्खे (गुरुजी) हरिभाऊ रामाजी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/162/80(150)]

New Delhi, the 28th July, 1981

O.N. 1113.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Murkhe (Guruji) Haribhau Ramaji, At Post Umarsara, Tq and District Yavatmal (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 162-Kelapur (ST) Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Murkhe (Guruji) Haribhau Ramaji to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[MT-LA|162|80(150)]

आ०अ० 1114.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 135-कामडोल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामनाथ योगी, मु० केलाशगढ़ पो० लक्ष्मण पुर, तहसील बलोदाबाजार, जिला रामपुर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत., उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामनाथ योगी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/135/80(173)]

O.N. 1114.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramnath Yogi, Village Kailashgarh, Post Office Lakshmanpur, Tehsil Balodabazar, District Raipur, (Madhya Pradesh), a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 135-Kasdol Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramnath Yogi to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA|135|80(173)]

आ०अ० 1115—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 51-चान्दला निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गुलाब चन्द, ग्राम व पोस्ट बन्धला, जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;—

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गुलाबचन्द को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/51/80 (172)]

O.N. 1115.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gulab Chand, Village and Post Bandla, District Chhatarpur, Madhya Pradesh, a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 51-Chandla Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act. 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gulab Chand to be disqualified or being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/51/80(172)]

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1981

आ०अ० 1116—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 59-मैहर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुरेंद्र सिंह, वार्ड नं० 10, रीवा रोड, मैहर जिला सतना (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुरेंद्र सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/59/80 (174)]

New Delhi, the 29th July, 1981

O.N. 1116.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Surender Singh, Ward No. 10, Rewa Road, Maihar, District Satna, Madhya Pradesh, a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 59-Maihar Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Surender Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA|59|80(174)]

आ०अ० 1117—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 9-चिपलून निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गजानन हनमंतराव, महादिक, सी०एच० नं० 84, म्युनिसिपल मेट्रेनंटी होम, म्यूनसीपल स्टाफ कालोनी महिम, बम्बई, 400016 (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गजानन हनमंतराव महादिक, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/9/80(151)]

O.N. 1117.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gajanan Hanmantrao Mahadik, C.H. No. 84, Muncipal Maternity House, Municipal Staff Colony, Mahim, Bombay-400016 (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 9-Chiplun Constituency, has failed

to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gajanan Hanmantrao Mahadik to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/9/80-(151)]

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1981

आ०अ० 1118—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 142-बिन्द्रानवागढ़ (अजजा) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जोगेश्वर सिंह ग्राम मेनपुरकाला, पो मेनपुर खुर्द, तहसील बिन्द्रानवागढ़ जिला रायपुर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जोगेश्वर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/142/80(178)]

New Delhi, the 31st July, 1981

O.N. 1118.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jogeshwar Singh, Village Manipurkala, Post-Manipurkhurd, Tehsil Bindranawagarh, District Raipur (M.P.) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 142-Bindranawagarh (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1980, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jogeshwar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/142/80(178)]

आ०अ० 1119.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 142-बिन्द्रानवागढ़ (अजजा) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्रीती सिंह, ग्राम देवभुड़ा, पो०आ० उरमाल, तहसील बिन्द्रानवागढ़, जिला रायपुर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री प्रीती सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/142/80 (179)]

O.N. 1119.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Priti Singh, Village Deomuda, Post Urmal, Tehsil, Bindranawagarh District Raipur (M.P.) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May 1980 from 142-Bindranawagarh (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pritisingh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Asembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/142/80/179)]

आ०अ० 1120.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए लिए साधारण निर्वाचन के लिए 142-बिन्द्रानवागढ़ (अजजा) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भजनसिंह, ग्राम पोस्ट उरमाल, तहसील गरीबाबन्द जिला रायपुर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भजन सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स० /142/80 (180)]

O.N. 1120.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhajan Singh, Village and Post Urmal, Tehsil Garjaband, District Raipur (M.P.) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 142-Bindranawagarh (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure end the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhajan Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/142/80/(180)]

आ०अ० 1121.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र, विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 46-ट्रांबे निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री खान आबू बेकर मोबिन, 32-4/8 शिवाजी नगर, गोवारडी, बम्बई 400088 (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा, स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उस के पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री खान आबू बेकर मोबिन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० मह्रा-वि०प०/46/80(152)]

O.N. 1121.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Khan Abu Baker Mobin, 33-4/8, Shivaji Nagar, Gowardi, Bombay-400088 (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 46-Trombay constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Khan Abu Baker Mobin to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/46/80(152)]

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1981

आ०अ० 1122—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 241 बैरसिया निर्वाचनक्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पदम सिंह ग्राम सौनकच्छ, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पदम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/241/80(175)]

New Delhi, the 1st August, 1981

O.N. 1122.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Padam Singh, Village Sonkatch, Tehsil Barasia, District, Bhopal (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May 1980 from 241-Barasia constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Padam Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/241/80(175)]

आ०अ० 1123.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 241-बैरसिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बलराम हरिनारायण, सन्यशेखर आइल मिल, जिला भोपाल, बैरसिया (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बलराम हरिनारायण को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/241/80(176)]

O.N. 1123.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Balram Harinarayan, Sanyasher Oil Mill, District Bhopal (M.P.) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 241 Barasia constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Balram Harinarayan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[MP-LA/241/80(176)]

आ०अ० 1124.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 234-बुधनी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राधारमण दास भरतदास जी, श्री इच्छापूर्ति हनुमान जी मन्दिर, ग्राम बोरी सलकनपुर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राधारमण दास भरतदास जी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/234/80(177)]

O.N. 1124.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Radharaman Das Bharat Das Ji, Shri Icchapurti Hunuman Ji Mandir, Village Bori, Salkanpur (Madhya Pradesh), a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 234-Budhni constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Radharaman Das Bharat Das Ji to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/234/80(177)]

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1981

आ०अ० 1125.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 15 वांकानेर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रयानी गिरधर पंचा, गुण्डा, पोस्ट कुवाडवा, तालुका राजकोट, गुजरात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रयानी गिरधर पंचा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० गु०-वि०स०/15/80/67]

New Delhi, the 6th August, 1981

O.N. 1125.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raiyani Girdhar Pancha, Gunda, Post Kuvadava, Taluka Rajkot, District Rajkot (Gujarat), a contesting candidate for general election to the Gujarat Legislative Assembly held in May, 1980 from 15-Wankaner Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Raiyani Girdhar Pancha to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/15/80(67)]

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1981

आ०अ० 1126.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 78-सिंगरोली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती गनपती, ग्राम सिगाही, पो० गोंदवाली, जिला सीधी (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती गनपती को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म० प्र०-वि०स०/78/80(187)]

New Delhi, the 7th August, 1981

O.N. 1126.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Genpati, Village Sigahi, P. O. Gondwali, District Sidhi (Madhya Pradesh), a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 78-Singrauli (SC) constituency, has failed to lodge an account of her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that she has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Genpati to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/78/80(187)]

आ०अ० 1127.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 253-सारंगपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार

श्री शिवलाल भागीरथ, पाटकया, पोस्ट खुजनेर, जिला राजगढ़ (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिवलाल भागीरथ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/253/80(184)]

O.N. 1127.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shivlal Bhagirath, Patkaya, Post Khujner, District—Rajgarh (M.P.), a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 253-Sarangpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shivlal Bhagirath to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-IA/253/80(184)]

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1981

आ०अ० 1128.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 61-उलन्दुरपेटेट (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एम० कन्डास्वामी, टी० पुडैयुर पो०ओ० (वाया) नलूर, टिट्टाकुडी तालुक (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एम० कन्डास्वामी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है

[सं० त०ना०-वि०स०/61/80(94)]

New Delhi, the 19th August, 1981

O.N. 1128.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri M. Kandasamy, T. Pudaiyur P.O. (Via) Nallur, Tittakudi Taluk Tamil Nadu a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in May, 1980 an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri M. Kandasamy to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/61/80(94)]

नई दिल्ली, 22 अगस्त 1981

आ०अ० 1129.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अप्रैल 1981 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए उप निर्वाचन के लिए 111-चिराला निर्वाचनक्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चिना बपाया सेट्टीबन्दला, नयनीपल्ली, वेतापलम (पी०ओ०), चिराला तालुक, प्रकासम जिला (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चिना बपाया सेट्टीबन्दला को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आ०प्र०-वि०स०/111/81(उप)(57)]

आदेश से,

धर्मवीर, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

New Delhi, the 22nd August, 1981

O.N. 1129.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri China Bapayya Setty Bandla, Nayanipalli, Vetapalem (P.O.) Chirala Tq. Prakasam District. Andhra Pradesh a contesting candidate for bye-election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in April, 1981 from 111-Chirala Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri China Bapayya Setty Bandla to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/111/81 (Bye) (57)]

By order,

DHARAM VIR, Under Secy.

to the Election Commission of India.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1981

आ०अ० 1130.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950(1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से श्री दिलसुखराम, (अवकाश प्राप्त) के स्थान पर श्री एम० अप्पा राव, संयुक्त सचिव (चुनाव) आन्ध्र प्रदेश को 31-8-1981 अपराह्न से अगले आदेशों तक आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है।

[सं० 154/आन्ध्र प्रदेश/81]

आदेश से,

के० गणेशन, सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 1981

O.N. 1130.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby nominates Shri M. Appa Rao, Joint Secretary to the Government of Andhra Pradesh (Elections) as the Chief Electoral Officer for the State of Andhra Pradesh with effect from the 31st July, 1981 (AN) and until further orders vice Shri Dilsukh Ram, I.A.S. retired from service..

[No. 154/AP/81]

By order,

K. GANESAN, Secy.

Election Commission of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981